

# कार्यालय      पुलिस      अधीक्षक      जनपद      गाजीपुर ।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य- 03/2025

दिनांक 04/04/2025

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,  
वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0 ।

अपने पत्र संख्या: वीजेड-सोशल मीडिया-(18)/2020/10720, दिनांक: जून 04, 2020 व पत्र संख्या: 41/6-पु-3/2020, दिनांक: 04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो पुलिस विभाग एवं उसके अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है ।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में दिनांक 03.04.2025 की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

**01. थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा फौ0मु0 6928/12 धारा 323,504,506,427 भादवि से सम्बन्धित 01 नफर वारण्टी को किया गया गिरफ्तार ।**

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे चेकिंग अभियान के क्रम में उ0नि0 चन्द्रशंकर मिश्र मय हमराह द्वारा माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गाजीपुर फौ0मु0 6928/12 धारा 323,504,506,427 भादवि बनाम जितेन्द्र सिंह पुत्र विजय शंकर सिंह निवासी कुर्था थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर उम्र करीब 57 वर्ष वारण्टी जितेन्द्र सिंह पुत्र विजय शंकर सिंह निवासी कुर्था थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर उम्र करीब 57 वर्ष को दिनांक 02.04.2025 को उसके घर से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

**गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम व पता-**

जितेन्द्र सिंह पुत्र विजय शंकर सिंह निवासी कुर्था थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर उम्र करीब 57 वर्ष ।

**02. थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा 10 लीटर देशी शराब के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।**

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे चेकिंग अभियान के तहत दिनांक 02.04.2025 को मुखबिर खास की सूचना के आधार पर लकड़ी का टाल के पास से अभियुक्त संजय राजभर पुत्र शिवशंकर राजभर निवासी स्टीमर घाट थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर उम्र करीब 40 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिसके पास से 10 लीटर अवैध देशी शराब बरामद होने पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 222/2025 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

**गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम व पता-**

संजय राजभर पुत्र शिवशंकर राजभर निवासी स्टीमर घाट थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर उम्र करीब 40 वर्ष ।  
बरामदगी का विवरण-

10 लीटर अवैध देशी शराब

**अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-**

01 .मु0अ0सं0 222/25 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर

02 .मु0अ0सं0 629/21 धारा 379,411 भादवि थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर

**03. थाना करण्डा पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0-038/2025 धारा-109(1)/115(2)/70(1) बीएनएस से सम्बन्धित 02 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।**

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे चेकिंग अभियान के तहत थाना प्रभारी करण्डा दिनेश चन्द्र पटेल व उ0नि0 बृजेश्वर यादव चौकी प्रभारी खिजिरपुर मय हमराह के मुखबीर खास की सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-038/2025 धारा-109(1)/115(2)/70(1) BNS से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1.मोनू बिन्द पुत्र लल्लू बिन्द उम्र करीब 20 वर्ष 2.सूरज बिन्द पुत्र पप्पू बिन्द उम्र करीब 21 वर्ष निवासीगण मनुआपुर थाना कोतवाली गाजीपुर को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-**

1.मोनू बिन्द पुत्र लल्लू बिन्द उम्र करीब 20 वर्ष निवासी मनुआपुर थाना कोतवाली गाजीपुर

2.सूरज बिन्द पुत्र पप्पू बिन्द उम्र करीब 21 वर्ष निवासी मनुआपुर थाना कोतवाली गाजीपुर

**बरामदगी का विवरण-**

1.एक अदद सब्जी काटने वाला चाकू ।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का अपराधिक इतिहास-**

1.मु0अ0सं0-038/2025 धारा-109(1)/115(2)/70(1) BNS थाना करण्डा गाजीपुर

**04. थाना शादियाबाद पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 106/25 धारा 61(2)/105/3(5) बीएनएस में वांछित 03 नफर अभियुक्तगण व 01 नफर अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया ।**

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 03.04.2025 को मु0अ0सं0 106/25 धारा 61(2)/105/3(5) बीएनएस थाना शादियाबाद गाजीपुर के वादी श्री कान्ता राम पुत्र स्व0 भगतु निवासी ग्राम गुरैनी थाना शादियाबाद जनपद गाजीपुर की पुत्रवधु श्रीमती कंचन भारती, जिनकी मृत्यु प्रसव के दौरान निजी चिकित्सालय एम0डी0 हॉस्पिटल कस्बा कोइरी शादियाबाद गाजीपुर के फर्जी चिकित्सकों द्वारा आपरेशन किये जाने से अत्यधिक रक्तस्राव हो जाने के कारण मृत्यु हो गयी थी। जिसके अभियुक्तगण 1.धर्मेन्द्र कुमार यादव पुत्र राजेन्द्र यादव 2.मनीषा यादव पत्नी धर्मेन्द्र कुमार यादव निवासीगण ग्राम सिकन्दरा थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर 3. अजीत यादव उर्फ गोलू पुत्र मनई यादव निवासी ग्राम सराय मनिकराज गोलवापार थाना शादियाबाद जनपद गाजीपुर 4.अजय यादव पुत्र सुभाष यादव निवासी ग्राम महरुमपुर थाना सैदपुर जनपद

गाजीपुर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

### **गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-**

1. धर्मेन्द्र कुमार यादव पुत्र राजेन्द्र यादव निवासी ग्राम सिकन्दरा थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर
2. अजय यादव पुत्र सुभाष यादव निवासी ग्राम महरुमपुर थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर
3. अजीत यादव उर्फ गोलू पुत्र मनई यादव निवासी ग्राम सराय मनिकराज गोलवापार थाना
4. मनीषा यादव पत्नी धर्मेन्द्र कुमार यादव निवासी ग्राम सिकन्दरा थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर शादियाबाद जनपद गाजीपुर

### **05. थाना रामपुर मांझा पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 11/2025 धारा 108,351(3) बीएनएस से सम्बन्धित 02 नफर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।**

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 03.04.2025 को उ0नि0 गजेन्द्र राय मय हमराह थाना रामपुर मांझा जनपद गाजीपुर द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 11/2025 धारा 108,351(3) बीएनएस से संबंधित अभियुक्तगण 1. विक्की कुमार पुत्र रामनगीना राम निवासी ग्राम रामपुर थाना रामपुर मांझा जनपद गाजीपुर 2. रामनगीना राम पुत्र खुट्टूल राम निवासी ग्राम रामपुर थाना रामपुर मांझा जनपद गाजीपुर को चकेरी मंदिर ग्राम चकेरी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

### **गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का नाम व पता-**

1. विक्की कुमार पुत्र रामनगीना राम निवासी ग्राम रामपुर थाना रामपुर मांझा जनपद गाजीपुर उम्र 20 वर्ष
2. रामनगीना राम पुत्र खुट्टूल राम निवासी ग्राम रामपुर थाना रामपुर मांझा जनपद गाजीपुर उम्र 49 वर्ष

### **अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास-**

मु0अ0सं0 11/2025 धारा 108,351(3) बीएनएस थाना रामपुर मांझा जनपद गाजीपुर

### **06. थाना कासिमाबाद पर रेयाज अंसारी व 03 अन्य के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत मु0अ0सं0 128/2025 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबंद एवं समाजविरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम -1986 का अभियोग पंजीकृत किया गया।**

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कासिमाबाद द्वारा थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर में मु0अ0सं0 128/2025 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबंद एवं समाजविरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम -1986 बनाम 1. रेयाज अहमद अंसारी पुत्र स्व0 अब्दुल मन्नान निवासी वार्ड नं0-11 दक्षिण मुहल्ला बहादुरगंज थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर 2. निकहत परवीन पत्नी रेयाज अहमद निवासी वार्ड नं0-11 दक्षिण मुहल्ला बहादुरगंज थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर 3. परवेज जमाल पुत्र स्व0 ऐनुलहक निवासी वार्ड नं0-8 मुहल्ला पक्का हाता बहादुरगंज थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर 4. नजीर अहमद पुत्र स्व0 सलामतुल्लाह निवासी वार्ड नं0-2 मुहल्ला कोईरान बहादुरगंज थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया है।

उल्लेखनीय है कि प्रभारी निरीक्षक कासिमाबाद के द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान जानकारी हुई कि गैंग लीडर/अभियुक्त रेयाज अहमद अंसारी पुत्र स्व0 अब्दुल मन्नान निवासी वार्ड नं0-11 दक्षिण मुहल्ला बहादुरगंज थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर तथा इस गैंग के अन्य सदस्य 1.निकहत परवीन पत्नी रेयाज अहमद निवासी वार्ड नं0-11 दक्षिण मुहल्ला बहादुरगंज थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर 2. परवेज जमाल पुत्र स्व0 ऐनुलहक निवासी वार्ड नं0-8 मुहल्ला पक्का हाता बहादुरगंज थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर 3. नजीर अहमद पुत्र स्व0 सलामतुल्लाह निवासी वार्ड नं0-2 मुहल्ला कोईरान बहादुरगंज थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर हैं। इस गैंग का गैंगलीडर रेयाज अहमद अंसारी उपरोक्त द्वारा गैंग के सदस्यों उपरोक्त के साथ अपने आप को मुख्तार अंसारी का साथी बताकर धमकी देकर धन अर्जित करना तथा बल पूर्वक व्यक्ति से रंगदारी वसूलना व कूटरचित दस्तावेज तैयार कर छल करना तथा लोगों की सम्पत्ति छलपूर्वक कब्जा करने जैसे संगीन अपराध कारित किया जाता है। यह अपने व अपने गैंग के सदस्यों के आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ हेतु वर्तमान में समाजविरोधी क्रियाकलाप में संलिप्त है व शातिर किस्म के अपराधी है। उक्त प्रकरण में उच्चाधिकारी गण के अनुमोदन प्राप्त होने पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 128/2025 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबंद एवं समाजविरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम -1986 बनाम 1. रेयाज अहमद अंसारी आदि 04 नफर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। मुकदमा उपरोक्त में नियमानुसार विवेचनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

**पुलिस अधीक्षक  
गाजीपुर**